राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 803/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 15-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ए.के.अस्थाना, अधिशाषी अभियंता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-1-17 के द्वारा माही के सेडल डेम से सिचाई प्रणाली विकसित करने के संबंध में तैयार किये जा रहे तकमिना आदि के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-1-17 में चाही गई सूचना एवं सूचना आयोग में पूर्व दायर द्वितीय अपील संख्या 6949/2017 के आवेदन में चाही गई सूचना एक समान है तथा वर्णित अपील संख्या 6949/2017 निर्णय दिनांक 02-11-17 के द्वारा खारिज की जा चुकी है अतः हस्तगत अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि आयोग में पूर्व में दायर अपील संख्या 6949/2017 एवं हस्तगत अपील में प्रस्तुत सूचना के आवेदन में चाही गई सूचना एक समान है तथा अपील संख्या 6949/2017 निर्णय दिनांक 02-11-17 के द्वारा खारिज की जा चुकी है, अतः हस्तगत अपील को खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त